न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 78 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. शिवपाल उर्फ श्योपाल पुत्र कल्लूराम जाति जाट निवासी ताखरों की ढाणी चारणवास (नाडा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार ज़रिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. **श्री बन्शीधर बाज्या वकील वादी की ओर सें।**

नि र्ण य दिनांक — **18.12.2020**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6 किता 8 कुल रकबा 7.32 है0 वाके ग्राम चारणवास पटवार हल्का लिखमाकाबास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। वादी के जन्म के पश्चात बाल्य अवस्था में वादी को घर में प्यार से माता पिता व दादा दादी एवं अन्य परिवारजन द्वारा श्योपाल के नाम से पुकारना शुरू कर दिया तथा बाल्य अवस्था में घर में श्योपाल के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्योपाल दर्ज करवा दिया गया। तत्पश्यात परिवारजन द्वारा वादी का नाम अन्य सरकारी रिकार्ड में शिवपाल दर्ज करवा दिया गया जबकि शिवपाल व श्योपाल दोनों नाम मुझ वादी एक ही व्यक्ति के ही है। इस प्रकार वादी के अन्य सरकारी रिकार्ड व अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक डायरी आदि में वादी का नाम शिवपाल बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। वादीके शिवपाल नाम का अन्य कोई भाई नहीं है। उपरोक्त भूमियों वादी का नाम श्योपाल दर्ज है जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात व रिकार्ड में वादी का नाम शिवपाल दर्ज है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने सक्षम नहीं हो पा रहा है। जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हा रही है इसलिए

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शिवपाल दर्ज करवाने की उद्घोषणा की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम की उद्घोषणा शिवपाल उर्फ श्योपाल किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वाद कारण आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती होने के पश्चात ही किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरूस्ती करवाये बिना किसान क्रेडिड कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ जो कि वाद कारण क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6 किता 8 कुल रकबा 7.32 है0 वाके ग्राम चारणवास पटवार हल्का लिखमाकाबास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम श्योपाल पुत्र कल्लूराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम शिवपाल उर्फ श्योपाल पुत्र कल्लूराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित क़िया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम श्योपाल पुत्र कल्लूराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम शिवपाल उर्फ श्योपाल पुत्र कल्लूराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम चारणवास की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 अनुसार खातेदार का नाम श्योपाल पुत्र कल्लूराम हिस्सा 1/36 दर्ज है। जमाबन्दीं सं0 2066 से 2069 के अनुसार नामा0 सं0 320 दिनांक 13.12.2010 को प्रार्थी के पिता का विरासत का नामा0 खुला है जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम श्योपाल पुत्र कल्लूराम हिस्सा 1/36 दर्ज हुआ है प्रार्थी के पेन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम शिवपाल पुत्र कल्लूराम

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

दर्ज है प्रार्थी श्योपाल पुत्र कल्लूराम के स्थान पर शिवप.ल उर्फ श्योपाल पुत्र कल्लूराम करने की अनुशंषा कि जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 1, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6 किता 8 कुल रकबा 7.32 है0 वाके ग्राम चारणवास पटवार हल्का लिखमाकाबास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी का नाम श्योपाल पुत्र कल्लूराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम श्योपाल उर्फ शिवपाल पुत्र कल्लूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर** रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

अंतिम डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

. ब्यअपस त्वबमकनतम ब्वकमए ।चचमदकपग श्वश 1द्ध

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामग,ढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

शिवपाल उर्फ श्योपाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 78 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 18.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री बन्शीधर बाज्या** मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 1, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6 किता 8 कुल रकबा 7.32 है0 वाके ग्राम चारणवास पटवार हल्का लिखमाकाबास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी का नाम श्योपाल पुत्र कल्लूराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर श्योपाल उर्फ शिवपाल पुत्र कल्लूराम संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.12.2020 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ